मानसून सत्र 2012 के समापन अवसर पर
माननीय अध्यक्ष महोदय का उद्‌बोधन

दिनांक 19 जुलाई 2012

माननीय सदस्यगण छत्तीसगढ़ की तृतीय विधानसभा के दशम् सत्र का आज अंतिम दिवस है। यह पावस सत्र दिनांक 12 जुलाई को आरंभ हुआ, इस सत्र के कुल 06 कार्य दिवसों में हमनें निर्धारित शासकीय एवं अशासकीय कार्यों को पूर्ण किया। मुझे इस बात की हार्दिक प्रसन्नता है कि इस मानसून सत्र का समापन अत्यंत सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में संपन्न हो रहा है।

यह पावस सत्र एक महत्वपूर्ण कार्य के लिए भी स्मरण किया जायेगा। इस सत्र के दौरान आज दिनांक 19 जुलाई, 2012 को देश के प्रथम नागरिक, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के महामहिम राष्ट्रपति निर्वाचन की भी प्रक्रिया पूर्ण हो रही है।

प्रक्रिया के सुव्यवस्थित संचालन में सहयोग के लिए आप सभी माननीय सदस्यों को मैं धन्यवाद देता हूं।

इस पावस सत्र में सदन के संपन्न कार्यों की संक्षिप्त जानकारी से मैं आपको अवगत करान चाहूंगा। इस सत्र के कुल 6 कार्यदिवसों में लगभग 24 घंटे 24 मिनट चर्चा हुई। 6 बैठकों में कुल 51 प्रश्न सभा में पूछे गए जिनके उत्तर शासन द्वारा दिए गए। इस प्रकार प्रतिदिन प्रश्नों का औसत लगभग 8.5 प्रश्नों का रहा। इस सत्र में 422 तारांकित प्रश्न एवं 264 अतारांकित प्रश्नों की सूचना प्राप्त हुई। इस प्रकार कुल 686 प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त हुई। इस सत्र में ध्यानाकर्षण की कुल 301 सूचनाएं प्राप्त हुई, जिसमें 47 सूचनाएं ग्राह्य हुई। इस सत्र में कुल 129 स्थगन की सूचना प्राप्त हुई। शून्यकाल की 57 सूचनाएं प्राप्त हुई, जिसमें 36 सूचनाएं ग्राह्य एवं 21 सूचनाएं अग्राह्य रही। वर्तमान सत्र में 92 याचिकाएं माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत की गई, जिनमें 36 ग्राह्य एवं 39 अग्राह्य रही। इस सत्र में 6 विधेयकों की सूचनाएं प्राप्त हुई और 6 विधेयकों पर चर्चा हुई तथा 6 विधेयक पारित हुए। वित्तीय कार्यों के अंतर्गत प्रथम अनुपूरक अनुमान पर 4 घंटे 26 मिनट चर्चा हुई।

इस सत्र में महामहिम राष्ट्रपति द्वारा वापस किये गए दो विधेयकों पर विचार किया गया। जिसमें से छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी संशोधन विधेयक 2006(क्रमांक 9 सन् 2006) माननीय मंत्री जी के प्रस्ताव पर वापस किया गया तथा इस विधेयक के स्थान पर संशोधित छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक 2012 (क्रमांक 12 सन् 2012) पुरःस्थापित किया गया तथा सभा द्वारा पारित किया गया तथा छत्तीसगढ़ के निक्षेपकों के हितों का संरक्षण विधेयक 2005 (क्रमांक 28 सन् 2005) सभा द्वारा यथा पारित रूप में पुनः पारित किया गया।

प्रदेश की सर्वोच्च प्रजातांत्रिक संस्था छत्तीसगढ़ विधानसभा के कार्यकरण से सीधे तौर पर आम जनता को अवगत कराने के उद्देश्य से सदन की कार्यवाही के अवलोकन हेतु आम नागरिकों को अवसर देती है। इस तारतम्य में विभिन्न शासकीय/अशासकीय संस्थाओं के 223 जनप्रतिनिधियों एवं 345 छात्र/छात्राओं ने इस सत्र में सदन की कार्यवाही का प्रत्यक्ष अवलोकन किया।

तृतीय विधानसभा के दशम सत्र के समापन के अवसर पर मैं सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी एवं नेता प्रतिपक्ष जी एवं आप माननीय सदस्यों के प्रति हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आप सभी ने सदन के सुव्यवस्थित संचालन में मुझे अपना अधिकतम सकारात्मक सहयोग दिया।

मैं उपाध्यक्ष महोदय के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने सभा के संचालन में मुझे निरंतर सहयोग प्रदान किया।

मैं सभापति तालिका के सदस्यों के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने सभा के संचालन में मुझे निरंतर सहयोग प्रदान किया।

मैं सम्माननीय पत्रकार साथियों एवं मीडिया के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने सदन की कार्यवाही को बड़ी गंभीरता से प्रचार माध्यमों में प्रमुखता से स्थान देकर प्रदेश की जनता को सभा में संपादित कार्यवाही से अवगत कराया। छत्तीसगढ़ दूरदर्शन, आकाशवाणी एवं अन्य मीडिया के प्रतिनिधियों के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अपने गुरूत्तर दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन किया।

इस अवसर पर राज्य शासन के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई देता हूं, सुरक्षा व्यवस्था में संलग्न अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी बधाई देता हूं, जिन्होंने सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था पूरे सत्र में कायम रखी।

मैं विधानसभा के सचिव सहित समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भी प्रशंसा करता हूं, जिन्होंने अपने दायित्वों का निर्वहन पूर्ण कुशलता एवं निष्ठा के साथ किया।

सत्र समापन के अवसर पर आगामी सत्र की संभावित तिथि घोषित करने की परंपरा रही है, तद्नुसार आगामी शीतकालीन सत्र दिसम्बर माह के द्वितीय/तृतीय सप्ताह में सम्भावित है।

हम सब संसदीय प्रणाली को सुदृढ़ करने एवं छत्तीसगढ़ के विकास के लिए कृतसंकल्पित हों, इन्हीं भावनाओं के साथ।

धन्यवाद !

जय हिन्द, जय भारत, जय छत्तीसगढ़ !